रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 546] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 15, 1985/कार्तिक 24, 1907
No. 546] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 15, 1985/KARTIKA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1985

का० आ० 831(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आवंटन) (एक सौ पचहत्तरवां संशोधन) नियम, 1985 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) प्रथम अनुसूची में,—

(i) "2. शीर्षक वाणिज्य मंत्रालय" और उसके अधीन उप-शीर्षकों को निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षकों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

2. "वाणिज्य मंत्रालय :	
	(i) वाणिज्य विभाग,
	(ii) पूर्ति विभाग ."

(ii) शीर्षक "23. इस्पात और खान मंत्रालय" और उसके अधीन उप-शीर्षकों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"23क. वस्त्र मंत्रालय .";

(ख) द्वितीय अनुसूची में,—

(i) शीर्षक "वाणिज्य मंत्रालय" के अधीन उपशीर्षक "ग. वस्त्र विभाग" और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा,

(ii) "शीर्षक इस्पात और खान मंत्रालय" और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"वस्त्र मंत्रालय	
1. जूट, जूट उत्पाद, हस्तशिल्प और सभी वस्त्रों और ऊनी वस्त्रों, जिनमें हैंडलूम, विद्युत् करघे, सिले सिलाए वस्त्र शामिल हैं, का उत्पादन, वितरण (देश में उपभोग और निर्यात के लिये) और विकास तथा रेशम और सेलूलोसिक तन्तुओं, जिनमें गैर-सेलूलोसिक संश्लिष्ट तन्तु (नायलान, पालियेस्टर, एक्रिलिक आदि) नहीं हैं, के उत्पादन से सम्बद्ध उद्योग ।	
2. वस्त्र आयुक्त ।	
3. पटसन आयुक्त ।	
4. जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ।	
5. काटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ।	

6. अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड।
7. अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड।
8. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड।
9. रेशम कीट पालन।
10. केन्द्रीय रेशम बोर्ड।
11. हैंडलूम विकास आयुक्त।
12. अहमदाबाद टैक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद।
13. बम्बई टैक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई।
14. दि सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई।
15. दि साऊथ इण्डिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर।
16. वूल रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई।
17. इण्डियन जूट इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कलकत्ता।
18. नार्दर्न इण्डिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, नई दिल्ली।
19. वस्त्रों, ऊनी वस्त्रों, हैंडलूम, सिले-सिलाये वस्त्रों, रेशम और सेलुलोसिक तन्तुओं, जूट और जूट उत्पादों और हस्तशिल्पों के संबंध में निर्यात उत्पादन का विकास और विस्तार।
20. हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन और उसका सहायक संगठन।
21. वस्त्र समितियां।
22. भुगतान आयुक्त।"

ज़ैल सिंह
राष्ट्रपति

[सं० 74/2/1/85-मंत्रि०]
एस० रामनाथन, सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 1985

S.O. 831(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and Seventy-fifth Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(a) in the First Schedule,—

(i) for the heading "2. Ministry of Commerce (Vanijya Mantralaya)", and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:—

"2. Ministry of Commerce (Vanijya Mantralaya) :

(i) Department of Commerce (Vanijya Vibhag).

(ii) Department of Supply (Poorti Vibhag).";

(ii) after the heading "23. Ministry of Steel and Mines (Ispat aur Khan Mantralaya)", and the sub-headings thereunder, the following heading shall be inserted, namely:—

"23A. Ministry of Textiles (Vastra Mantralaya).";

(b) In the Second Schedule,—

(i) under the heading "MINISTRY OF COMMERCE (VANIJYA MANTRALAYA)", sub-heading "C. DEPARTMENT OF TEXTILES (VASTRA VIBHAG) and the entries thereunder shall be omitted.;

(ii) after the heading "MINISTRY OF STEEL AND MINES (ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)", and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely:—

"MINISTRY OF TEXTILES (VASTRA MANTRALAYA)

1. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of jute, jute products, handicrafts and all textiles and woollens including handlooms, powerlooms, ready-made garments and industries relating to the production of silk and cellulosic fibres but excluding non-cellulosic synthetic fibres (nylon, polyster, acrylic, etc.).
2. Textiles Commissioner.
3. Jute Commissioner.
4. Jute Corporation of India Limited.
5. Cotton Corporation of India Limited.
6. All India Handicrafts Board.
7. All India Handlooms Board.
8. The National Textile Corporation Ltd.
9. Sericulture.
10. Central Silk Board.
11. Handloom Development Commissioner.
12. Ahmedabad Textile Industries Research Association, Ahmedabad.
13. Bombay Textile Research Association, Bombay.
14. The Silk and Art Silk Mills' Research Association, Bombay.
15. The South India Textile Research Association, Coimbatore.
16. Wool Research Association, Bombay.
17. Indian Jute Industries Research Association, Calcutta.
18. Northern India Textile Research Association, New Delhi.
19. Development and expansion of export production in relation to textiles, woollens, handlooms, ready-made garments, silk and cellulosic fibres, jute and jute products and handicrafts.
20. Handicrafts and Handlooms Export Corporation and its subsidiary.
21. Textile Committees.
22. Commissioner of Payments.".

ZAIL SINGH
President

[No. 74/2/1/85-Cab.]
S. RAMANATHAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985